पत्रांक–3/एम०–25/2021सा0प्र0....1012..../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ....27-1-.... 2022

विषय– सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में संविदा नियोजन पर संबंधित सेवानिवृत्त कर्मियों के विरुद्ध संसूचित दण्डादेशों के कुप्रभाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित किया गया है।

2. संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–4 का प्रावधान निम्नवत् है–

"उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवकों की सेवायें नहीं ली जा सकेंगी–

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।
(iii) जिन पर कोई गम्भीर आरोप विचाराधीन हो।
(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।"

3. परन्तु उपर्युक्त संकल्प में यह स्पष्ट नहीं है कि यदि किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध सेवाकाल के आरोप के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान के तहत वृहद/लघु दण्ड अधिरोपित हो अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित हो तो उक्त दण्ड का कुप्रभाव उनके संविदा नियोजन पर किस रूप में पड़ेगा।

4. उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक—10000 दिनांक—10.07.2015 की कंडिका—3(3) में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु विभिन्न स्तर के 04 (चार) चयन समितियों का प्रावधान किया गया है। उक्त चयन समितियों में से मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय चयन समिति द्वारा परिचालन विधि से आयोजित बैठक में निम्नांकित निर्णय को परिचारित करने की अनुशंसा की गयी है—

> "संकल्प ज्ञापांक—10000 दिनांक—10.07.2015 के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा नियोजन के प्रस्ताव पर विचार के क्रम में ऐसे सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा नियोजन के मामले को संबंधित चयन समिति के समक्ष नहीं लाया जाय जिनके विरुद्ध किसी अनुशासनिक/आपराधिक मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय—समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान के तहत सेवाकाल के अन्तिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड अथवा अन्तिम 05 वर्ष में कोई दण्ड (लघु/वृहद) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित हो।"

5. राज्यस्तरीय चयन समिति की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में निदेश किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—10000 दिनांक—10.07.2015 के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा नियोजन के प्रस्ताव पर विचार के क्रम में ऐसे सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा नियोजन के मामले को संबंधित चयन समिति के समक्ष नहीं लाया जाय जिनके विरुद्ध किसी अनुशासनिक/आपराधिक मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय—समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान के तहत सेवाकाल के अन्तिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड अथवा अन्तिम 05 वर्ष में कोई दण्ड (लघु/वृहद) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित हो।

विश्वासभाजन,

26/1/22

(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव